मध्य प्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 1889 / 22 / वि–7 / NREGS-MP / 2007 / भोपाल,दिनांकः 13 / 07 / 2007

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला – बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना म.प्र. के तहत नंदन फलोद्यान उपयोजना के अन्तर्गत फलोद्यान विकास के लिये वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्र.–

1. 6673 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी / 2007 भोपाल दिनांक 20.4.2007
2. 8475 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी / 2007 भोपाल दिनांक 31.5.2007
3. 9813 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी / 2007 भोपाल दिनांक 25.6.2007

संदर्भित पत्रों के माध्यम से नंदन फलोद्यान उपयोजना की आयोजना, क्रियान्वयन एवं वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिये गए है।

नंदन फालोद्यान के सफल विकास के लिये श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध का रोपण किया जाना है, श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध उपलब्ध कराने हेतु मिशन संचालक, म.प्र. राज्य उद्यानिकी मिशन एवं एम.पी. एग्रो द्वारा निजी क्षेत्र की रजिस्टर्ड रोपणियों से दरें आमंत्रित कर न्यूनतम दरों के ऑफर प्राप्त किये गये है। एम.पी. एग्रो द्वारा ग्राफ्टेड / बीजू पौधों की प्रस्तावित दरों की सूची, प्रदाय की शर्ते एवं पौधों के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो संलग्न कर आपको भेजे जा रहे हैं।

वृक्षारोपण के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर एक अधिकारी / कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से 31.08.2007 तक, अपनी जनपद के उद्यान अधीक्षक के अधीनस्थ संलग्न कर संबंधित द्वारा निम्न दायित्वों का निर्वाहन होना सुनिश्चित करेंगे –

जनपद स्तरीय अधिकारी / कर्मचारी की जिम्मेदारियॉ :–

1. ग्राम पंचायतों से प्रजातिवार पौधों की मांग संकलित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा प्रदाय आदेश उपमहाप्रबंधक (उद्यान), मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मर्यादित, पंचानन भवन, तृतीय तल मालवीय नगर, भोपाल की ओर भेजते हुए, प्रदाय आदेश की जानकारी से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला प्रबंधक एम.पी. एग्रो., उपसंचालक उद्यान एवं इस कार्यालय को भी अवगत करावें। एम.पी. एग्रो., को 1 प्रजाति के कम से कम 8000 पौधें अर्थात 1 ट्रक लोड़ मांग के प्रदाय आदेश दिए जावें।
2. पौधो की समयावधि में पूर्ति हेतु जिला पंचायत स्तरीय अधिकारी एवं शाखा प्रबंधक एम.पी. एग्रो से उनके मोबाईल फोन, कार्यालयीन दूरभाष एवं निवास के दूरभाष नं. से अवगत होते हुये सतत् सम्पर्क बनायेंगे।
3. मांग अनुसार प्रदायकर्त्ता द्वारा प्रजातिवार पौधो एवं प्रदाय की तिथि की जानकारी मिलने पर संबंधित ग्राम पंचायतों, सहयोग दल के प्रमुख (सहायक विकास विस्तार अधिकारी अथवा ग्राम सहायक) को सूचित करेगा।

4. प्रदायकर्त्ता द्वारा विकासखण्ड पर स्थित उद्यानिकी विभाग की विभागीय नर्सरी पर पौधों को प्रदाय किया जावेगा। प्रदाय के समय पौधों की गुणवत्ता का सत्यापन, एम.पी. स्टेट एग्रो. द्वारा विभिन्न प्रजातिवार पौधों हेतु निर्धारित मापदण्डों एवं प्रदाय की शर्तो के आधार पर, उद्यानिकी विभाग के अमले द्वारा किया जावेगा एवं जनपद स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रजातिवार एवं पैकिंगवार पौधों को संबंधित ग्राम पंचायतों के सहयोग दल के प्रमुख (सहायक विकास विस्तार अधिकारी अथवा ग्राम सहायक) की अभिस्वीकृति के पश्चात् उपलब्ध करायी जावेंगी।

5. जनपद स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी, विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त, प्रजातिवार व पैकिंगवार पौधों की संख्या के आधार पर तैयार एम.पी. स्टेट एग्रो. के देयक का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायतों से करवाना सुनिश्चित करेंगे।

अन्य निर्देश –

1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पौधों की प्रजातिवार मांग देते समय पैकिंग (पॉलीथिन/जूट/बंडल) का भी विवरण दें। पौधों की सुरक्षा एवं सफलता पूर्वक रोपण के लिये पॉलीथिन पैक में पौधों के प्रदाय को प्राथमिकता देते हुये प्रदाय आदेश दें।

2 नंदन फलोद्यान उपयोजना एवं अन्य वृक्षारोपण कार्य हेतु पौधों की पूर्ति शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम/स्व–सहायता समूह से करते समय यह ध्यान रखा जावे कि पौधें किसी भी संस्था से क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि पौधें फील्ड में सुरक्षित एवं सफल रोपण के अनुरूप श्रेष्ठ, उत्तम गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदण्ड के ही हों।

3 अति. कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत, जिला प्रबंधक एम.पी. एग्रो. एवं सहायक संचालक/उपसंचालक उद्यान के साथ बैठक आयोजित कर पौधे वितरण आदि के संबंध में इस प्रकार सामांजस्य करे कि यदि किसी जनपद पंचायत की एक प्रजाति के कम से कम 8000 पौधें अर्थात एक ट्रक लोड मांग नही है तो वह दो जनपद पंचायतों के बीच निर्धारित कर दी जाए।

4 संदर्भित पत्र क्र. 8475/22/वि–7/एन.आर.ई.जी/2007 भोपाल दिनांक 31.5.2007 9813/22/वि–7/एन.आर.ई.जी/2007 भोपाल दिनांक 25.6.2007 के द्वारा जिले एवं जनपद वार, Agro Climatic Zone के अनुसार पौधो की प्रजाति का निर्धारण किया गया है। यदि किसी विकासखण्ड के लिये निर्धारित प्रजाति के अतिरिक्त भी किसी उद्यानिकी प्रजाति के फल पौधों की मांग नंदन फलोद्यान उपयोजना के हितग्राहियों द्वारा की जा रही तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उन प्रजातियों को भी उद्यानिकी विभाग का अभिमत लेते हुए उपयोजना में शामिल करें।

5 सहयोग दल के प्रमुख (सहायक विकास विस्तार अधिकारी अथवा ग्राम सहायक) वृक्षारोपण कार्य के समय उनके अधिकार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से सतत् सम्पर्क स्थापित कर पौधों की मांग संकलित करेंगे एवं मांग अनुरूप पौधों की उपलब्धता संबंधित ग्राम पंचायतों को सुनिश्चित कराने के लिए उद्यान विभाग की विकास–खण्ड पर स्थित नर्सरी के अधिकारी के सम्पर्क में रहेंगे।

नंदन फलोद्यान उपयोजना एवं अन्य वृक्षारोपण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु, कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

संलग्नः– एम.पी. एग्रो द्वारा प्रस्तावित दरों की सूची, प्रदाय की शर्ते एवं विभिन्न पौधों के लिये निर्धारित मापदण्ड।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/1890/22/वि–7/NREGS-MP/2007/ भोपाल, दिनांकः 13/07/2007

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र मिशन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
2. मिशन संचालक, म.प्र. राज्य उद्यानिकी मिशन पंचानन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विंध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. उपमहाप्रबंधक (उद्यान) एम.पी. स्टेट एग्रो पंचानन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंडल ————————————————————
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, जिला 31 जिले ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग